अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2021 (GCMS 2021/105)(आईटीआई पोर्टल नं. 212835285896400) श्री राजेन्द्र सिंह भाटी पता माँ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड़ विद्यालय रोड, मुख्य बाजार, सरदारशहर जिला चुरू, राजस्थान मोबाईल नं. 94140–84114) **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी न्याय शखाा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारीगणों के द्वारा उसकी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित आवेदन पत्रों की सूचना उपलब्ध करवाने में किसी प्रकार की कोई गम्भीरता नहीं दर्शाई जा रही है उसने दिनांक 02.06.2021 को सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 के तहत पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी के द्वारा बार–बार अग्रह किए जाने के उपरान्त भी उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आपके कार्यालय के द्वारा जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (दो प्रमाणित प्रतियों में) मय–

(ए) इसे कब–कब परिवर्तित किया गया,उनकी प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

(बी) उक्त अनापति प्रमाण पत्र की विधिक वैद्यता के संबंध में सम्पूर्ण विवरण

2. उक्त रिटेल आउटलेट के भूमि विवाद हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या CW7337/2019 में प्रदत निर्णय की प्रति दिनांक 04.06.2019 जरिये पंजीकृत पत्र ER913162681IN दिनांक 06.06.2019 के माध्यम से प्रेषित की गई—

   (ए) उक्त पत्र आपके कार्यालय में कब प्राप्त हुआ, उसके प्राप्ति क्रमांक व दिनांक का सम्पूर्ण विवरण

   (बी) इस संबंध में संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

   (सी) इस संबंध में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर को प्रेषित प्रत्युतर (दिनांक 28.05.2019 से जवाब देने तक) की प्रमाणित प्रतियाँ (दो प्रमाणित प्रतियों में)

3. इस संबंध में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से प्राप्त पत्राचारों की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में) व आपके कार्यालय के द्वारा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन को प्रेषित पत्राचार एवं प्रत्युत्तरों की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में) एवं इस संबंध में उच्चाधिकारियों/मुख्यमंत्री कार्यालय/अन्य से प्राप्त व प्रेषित पत्राचारों की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या –7337/2019 में प्रदत निर्णय दिनांक 29.05.2021 की अनुपालना में स्वमुखरित आदेश जो पारित किये गये, उनकी प्रमाणित प्रतियां मय संधारित नोटशीट–

(ए) उक्त स्वमुखरित आदेश याचिकाकर्ता को कब प्रेषित किया गया, उसका, सम्पूर्ण विवरण मय इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश की छायाप्रति व प्रेषण पंजिका की छायाप्रति की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

5. इस भूमि पर भूस्वामियों के द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धार 150 के तहत अनापति प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु पत्राचार दिनाक 01.06.2019 से लेकर दिनांक 05.06.2021 तक की प्रमाणित प्रतियां व प्रेषण माध्यम–

(ए) जरिये पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट

(बी) जरिये ई–मेल

कृपया वांछित सूचनाएँ सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिस रूप में चाही गई है उसी रूप में धारा (7) का अनुसरण करते हुए बिना किसी विलम्ब के प्रमाणितशुदा उपलब्ध करवाने का श्रम करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक एफ17(1)/न्याय(आरटीआई)/2021/1022 दिनांक 23.02.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीमान्‌जी निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी, (अतिरिक्त जिला कलक्टर) श्रीगंगानगर से प्राप्त पत्रांक 614—15 दिनांक 21.06.2021 के संलग्न आवेदक के सूचना के अधिकार के तहत पत्र दिनांक 02.06.2021 के सन्दर्भ में इस कार्यालय के समसंख्यक 5845—46 दिनांक 07.07.2021 द्वारा आवेदक को कार्यदिवस में उपस्थित होकर सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरान्त सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था (छायाप्रति संलग्न)। परन्तु आवेदक द्वारा उपस्थित होने के स्थान पर स्वंय के स्तर से राशि जरिये आईपीओ निम्नानुसार संलग्न कर भिजवाये गये है।

1. आईपीओ क्रमांक 54 एच 243960 राशि 100/—
2. आईपीओ क्रमांक 54 एच 243964 राशि 100/—
3. आईपीओ क्रमांक 54 एच 243962 राशि 100/—
4. आईपीओ क्रमांक 54 एच 243963 राशि 100/—
5. आईपीओ क्रमांक 54 एच 243961 राशि 100/—

इससे पूर्व कि प्रथम आरटीआई से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध करवाई जाती, आवेदक द्वारा ऑनलाईन (1) 212391532523467 दिनांक 25.06.2021 (2) 212673705490260 दिनांक 25.05.2021 (3) 212067878630463 दिनांक 03.06.2021) के माध्यम से पुनः वही सूचनायें चाही गई।

उक्त **आरटीआई का प्रत्युतर तैयार कर दिया गया था परन्तु कोविड—19 के चलते** कार्य भार अधिक होने के **कारण प्रत्युतर हस्ताक्षरित** नहीं करवाये जा सके। श्रीमान्‌जी, जिस प्रकरण के सम्बन्ध मे सूचनायें चाही जा रही है, उसका सारांश इस प्रकार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गांव 13 ओ, श्रीकरणपुर के खाता संख्या 68 खसरा संख्या 18, 19, 20, 21, 22 की भूमि लीज पर लेकर रिटेल आउटलेट संचालित किया जा रहा है।
2. उक्त भूमि की लीज वर्ष 1983 में समाप्त हो चुकी है।
3. खसरा संख्या 68 की भूमि पारिवारिक विभाजन में सुरेन्द्र मोहन पालीवाल के नाम आई है। जिसका इंतकाल 1485029 दिनांक 09.01.2019 द्वारा दर्ज किया जाकर दिनांक 12.09.2019 को तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा तस्दीक किया गया है।

   यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती गीतांजलि नागपाल पत्नी विजय नागपाल निवासी वार्ड नं. 25., अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर एवं विजित नागपाल पुत्र विजय नागपाल निवासी 5 मरूधर नगर, डीसीएम के पास, अजमेर रोड, जयपुर केवल दो स्वामी है।
4. **शिकायत यह है कि–**

- गत 37 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के बार भी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनावश्यक रूप से कब्जा कर किराया राशि की अदायगी नही की जा रही है।
- पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 150 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन।

5. उक्त अनापति प्रमाण पत्र निरस्त नही किये जाने पर मा. राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 7337/2019 दायर की गई जिसके निर्णय दिनांक 29.05.2019 के अनुसार In light of the aforesaid submission, the present writ petition is disposed of with a direction to the respondents to pass a speaking order strictly in accordance with law, while treating the writ petition to be a representation within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order.

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान्जी सूचनायें ग्राम 13 ओ, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित रिटेल आउटलेट व उक्त भूमि के स्वामित्व के विवाद सम्बन्धी पत्रावली के सम्बन्ध में सूचनायें चाही गई है। उक्त भूमि एवं पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) के सम्बन्ध में निम्नलिखित पक्षकारान है–

1. नागपाल ऑयल कम्पनी, पदमपुर रोड, श्रीकरणपुर।
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
3. सुरेन्द्र मोहन पालीवाल पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र पालीवाल निवासी जयपुर।
4. श्रीमती गीतांजलि नागपाल पत्नी विजय नागपाल वार्ड नं. 25, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर तथा विजित नागपाल पुत्र विजय नागपाल निवासी 5 मरूधर नगर, डीसीएम के पास अजमेर रोड़, **जयपुर**।

श्रीमान्जी, आवेदक डॉ राजेन्द्र सिंह भाटी द्वारा तोड़–मरोड कर तथा उक्त क्रम संख्या 3 व 4 की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के पीछे क्या प्रयोजन है? स्पष्ट नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो और अधिनियम की धारा 2 एफ के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा में किसी प्रकार का आदेश, हिदायत, निर्देश जारी नही किये जा सकते और किसी भी लोक [illegible] को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश भी नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जा सकती है। परन्तु सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के प्रार्थना करना अथवा किस नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। उक्त प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर में भी विचाराधीन है एवं आप द्वारा सूचनाओं को अलग—अलग प्रकार से अस्पष्ट रूप से कब, क्यों इत्यादि के रूप में चाही जा रही है। **प्रशासनिक सुधार एवं समन्यम विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), राज. जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सूअप्र/06 जयपुर, दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 4— "यदि किसी विशेष स्वरूप में मांगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनो का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकार्ड के परिरक्षण में कोई हानि होने की सम्भावना होती है तो उस रूप में सूचना देने से धारा 7(9) के प्रावधानान्तर्गत मना किया जा सकता है।"** फिर भी आवेदक को कार्यालय पत्रांक 5845—46 दिनांक 07.07.2021 द्वारा आवेदक को कार्यदिवस में उपस्थित होकर सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरान्त सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था, जिस पर आवेदक द्वारा प्रथम अपील श्रीमान्जी के समक्ष प्रेषित की है।

श्रीमान्जी से निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील संख्या 66/2021 खारिज करने का श्रम क

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणी जलारिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, न्याया शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र संख्या 614–615 दिनांक 21.06.2021 से अपीलार्थी को पत्रावली का अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा करवाने के उपरान्त सूचना प्राप्त करने हेतु गया था, **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने का कोई [illegible] नहीं है इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी** को [illegible] है जिसमें किसी प्रकार के **हस्तक्षेप की आवश्यकता** नहीं है। फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 **की भावनाओं को देखते हुए** अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा), **कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्रतिप्रेषित (Remand) किया**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय प्राप्ति के 10 दिवस में पुनः निर्णय पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:11 IST
Reason: SelfAttested